

दिनांक 14.05.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में कृषि विभाग, विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि की उपसमिति-1 की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पटना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 31.03.2018 तक 49000 करोड़ रुपये Annual Credit Plan लक्ष्य के विरुद्ध 42160 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुई है जो लक्ष्य का 86.4% है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31.03.2018 तक 15 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 5.29 लाख नए के० सी० सी० आवेदन वितरित होने की सूचना दी। Farm Credit अन्तर्गत 93.77%, कृषि Infrastructure अन्तर्गत उपलब्धि 19.69%, Agri Term Loan अन्तर्गत लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 10.8% तथा Ancillary Activities अन्तर्गत 71.68% उपलब्धी लक्ष्य के विरुद्ध होने की सूचना दी गई। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा नए के० सी० सी० आवेदनों की कम स्वीकृति होने तथा कृषि प्रक्षेत्रों में कम ऋण वितरण होने पर खेद व्यक्त किया गया। साथ ही स्थिति में सुधार लाने हेतु उपस्थित बैंक अधिकारियों को निदेश दिया गया।

(कार्रवाई-एस० एल० बी० सी०, पटना)

3. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा गत एस० एल० बी० सी० की कृषि की उप समिति -1 की बैठक की कार्यवाही का बिन्दुवार अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई। कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग(Custom Hiring) में बैंक से ऋण स्वीकृति में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर खेद व्यक्त किया गया।

संयुक्त निदेशक, अभियंत्रण द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत 71 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें कम्बाइन हार्वेस्टर यंत्र पर बैंक लोन अनिवार्य है। शेष यंत्रों पर ऋण प्राप्ति हेतु राज्य के कृषक स्वतंत्र हैं। बैठक में किसानों से प्राप्त आवेदन पर ससमय ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया ताकि अधिकाधिक लाभ किसानों को मिल सके।

भारत सरकार द्वारा संचालित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत 10.00 लाख, 25.00 लाख एवं 40.00 लाख तक की लागत से कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक तथा 80.00 लाख रुपये की लागत वाले दो हार्डटेक हब की स्थापना किया जाना है। उक्त सभी कृषि यंत्र बैंक/हार्डटेक हब की स्थापना पर 40% अनुदान का प्रावधान है। इसके आलावा चयनित ग्रामों में 10.00 लाख रुपये तक की लागत से कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जानी है जिसमें 80% अनुदान का प्रावधान है।

कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक जीविका के ग्राम संगठन/आत्मा से सम्बद्ध फारमर्स इंटरेस्ट ग्रुप (F.I.G.)/नबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से सम्बद्ध किसान क्लब/स्वयं सहायता समूह(SHG)/पैक्स/व्यापार मंडल/कृषि यंत्र निर्माता/उद्यमी द्वारा विहित प्रपत्र में जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन दिया जाना है।

यंत्र बैंक में यंत्रों के अधिप्राप्ति हेतु 40% राशि सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 60% राशि आवेदक समूह/निर्माता/उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त योजना का लाभ प्रगतिशील कृषक भी प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कृषि यांत्रिकरण योजना/कस्टम हायरिंग अन्तर्गत जिलों में ऋण की स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदनों की जिलावार/बैंकवार सूची प्राप्त कर एस० एल० बी० सी० को ईमेल slbc.bihar@sbi.co.in पर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

(कार्रवाई-संयुक्त निदेशक, अभियंत्रण, बिहार, पटना)

4. कृषकों के Joint Liability Groups(JLG) के अन्तर्गत 100000 लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत आवेदनों की संख्या 23322 है जो लक्ष्य का 23.32% है। प्रगति असंतोषजनक रहने पर खेद व्यक्त किया गया।

5. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10 करोड़ एवं वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान मद में नबार्ड को उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी ली गई। नबार्ड के प्रतिनिध द्वारा वर्ष 2016-17 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 2.67 करोड़ रुपया का तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 27.53 लाख रुपया का दावा(Claim) प्राप्त होने की सूचना दी गई। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा अप्रैल माह में बैंक का अंकेक्षण(Audit) हो जाने के उपरान्त मई माह में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई।

(कार्रवाई – नबार्ड, पटना)

6. कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 3% ब्याज अनुदान देय है। अतः राज्य सरकार द्वारा देय 1% ब्याज अनुदान की राशि को इसमें शामिल कर कृषकों को ब्याज अनुदान का भुगतान होना चाहिए। स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर खेद व्यक्त किया गया। बैंक प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेश(Guide line) के अनुसार भारत सरकार द्वारा देय 3% ब्याज अनुदान का दावे(claims) व्यवसायिक बैंकों को प्राप्त हो जाता है, जबकि नबार्ड से राज्य सरकार की 1% ब्याज अनुदान की राशि प्राप्त होने की प्रक्रिया अलग है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग किसान/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषक का अलग-अलग निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाता है। समय पर ब्याज अनुदान की राशि कृषकों के खाते में उपलब्ध कराने हेतु उपस्थित बैंक पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया।

(कार्रवाई – एस० एल० बी० सी०, पटना
मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड पटना)

7. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की राशि समय पर कृषकों के खाते में उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें हानि होती है तथा उन्हें अधिक सूद का भुगतान करना पड़ता है। नबार्ड को व्यवसायिक बैंकों के साथ MOU करने का सुझाव दिया गया ताकि बैंक को defaulter होने की स्थिति में सम्बन्धित बैंक अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(कार्रवाई— मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड पटना)

8. कृषि विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में अनुदान की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से कृषकों के खाते में उपलब्ध कराने में बैंकों द्वारा विलम्ब किया जाता है। जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक, सासाराम(मुख्य शाखा) से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट में लाभान्वितों का नाम खाता संख्या के साथ नहीं रहने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किस लाभार्थी को अनुदान राशि का भुगतान हुआ तथा किस लाभार्थी को अनुदान भुगतान नहीं हुआ। अनुदान राशि खाते में अप्राप्त होने का आवेदन देकर किसानों द्वारा जिला कृषि कार्यालय में आक्रोश व्यक्त किया जाता है। अतः जिला स्तर पर बैंकों द्वारा RTGS/NEFT से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट लाभार्थी का नाम/खाता संख्या एवं राशि के साथ सम्बन्धित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई— एस० एल० बी० सी०, पटना)

9. संयुक्त निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा बताया गया कि इलाहाबाद बैंक, जहानाबाद द्वारा अनुदान की राशि कृषकों के खाते में RTGS करने में विलम्ब किया जा रहा है। राशि को RTGS करने में कितना विलम्ब हुआ है इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कृषि पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु संयुक्त

निदेशक, भूमि संरक्षण को निदेश दिया गया ताकि उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(कार्रवाई— संयुक्त निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना)

10. निदेशक, उद्यान, बिहार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना अन्तर्गत परियोजना आधारित क्रेडिट लिंकड बैंक इण्डेड अनुदान से आच्छादित कार्यक्रमों की स्थिति की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि Model Project में बैंकर्स की सहमति से चेक लिस्ट तैयार किया जाता है तथा Appraisal करते समय सभी कागजात आवेदन के साथ उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने किन-किन बैंकों में इस परियोजना अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव गया है तथा किन बैंकों में ऋण की स्वीकृति हेतु कृषकों द्वारा आवेदन दिया गया है इसका विवरण उपलब्ध कराया। उन्होंने बताया कि बैंकों में आवेदन भेजे जाने पर इसे Entertain नहीं किया जाता है। उपलब्ध प्रतिवेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० को भेजने हेतु निदेश दिया गया।

(कार्रवाई— सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना,
एस० एल० बी० सी०, पटना)

11. भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ऋण की स्वीकृति से सम्बन्धित आवेदन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषकों की स्थिति में 15 दिनों के अन्दर तथा सामान्य वर्ग के कृषकों को एक माह के अन्दर में स्वीकृत किया जाना है। इसकी सूचना सभी बैंक अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० को निदेश दिया गया।

(कार्रवाई— एस० एल० बी० सी०, पटना)

12. प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना द्वारा कृषकों से कृषि ऋण/विभिन्न योजना अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन को Public Domain में रखने हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया गया। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने का सुझाव दिया गया।

(कार्रवाई— एस० एल० बी० सी०, पटना)

13. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि उपर स्तर के प्रबन्धन (Senior Management) तथा बैंक शाखा के स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन अनुदेश की जानकारी में Gap हो रहा है। अतः बैंक लिंकड परियोजनाएँ जो स्वीकृत हो रही है उसकी प्रति(सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी) एस० एल० बी० सी० को ईमेल slbc.bihar@sbi.co.in पर भेज दी जाए ताकि बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में इसे उपलब्ध कराया जा सके।

(कार्रवाई— निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना,
संयुक्त निदेशक, अभियंत्रण, बिहार, पटना)

संयुक्त निदेशक(रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस, बिहार, पटना)


14. संयुक्त निदेशक(रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस द्वारा बताया गया कि नबार्ड को तीन साल के लिए वर्मी कम्पोस्ट का 5 करोड़ रूपया का परियोजना भेजा गया है। RIDF के अन्तर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय की सिंचाई से सम्बन्धित योजना नबार्ड को भेजने की जानकारी दी गई। नबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने का आश्वासन दिया गया।

(कार्रवाई— मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड, पटना)

15. बैंक अधिकारियों द्वारा बताया गया कि किसानों से प्राप्त शपथ पत्र (Affidavit) के आधार पर अंचलाधिकारी द्वारा भूधारिता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जिससे ऋण की स्वीकृति में परेशानी होती है। भूमि सम्बन्धी दस्तावेज (Land records) को शीघ्र कम्प्यूटरीकृत कर ONLINE करने हेतु बैंक अधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रतिनिधि के बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा खेत व्यक्त किया गया तथा उनसे सम्पर्क हेतु शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना)


अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।


कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2835

दिनांक : 22-5-18


प्रतिलिपि : सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, संयोजक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्रामीण व्यवसायी ईकाई -1, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पांचवा तल्ला, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला, डाक बंगला रोड, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2835

दिनांक : 22-5-18


प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार/ निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(अभियंत्रण), बिहार, पटना/ संयुक्त कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य), सूचना, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) योजना, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य), पी0पी0एम0 कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2835

दिनांक : 22-5-18

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2835

दिनांक : 22-5-18

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।